न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 03 / 2024 (उदयपुर आर्डर)

रूपलाल पटेल पिता भग्गा जी पटेल, निवासी 250, गुड़ली, जिला उदयपुर हाल निवासी 209, रोड़ नंबर 4, सुभाष नगर, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा – 75 राजस्थान भू–राजस्व
अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 05.01.2024 क्रमांक राजस्व/बी./2023–83

———/———

उपस्थित :– 1– श्री हनुमान प्रसाद शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अधिवक्ता

———::———

निर्णय **दिनांक 19–11–2024**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा ने आदेश दिनांक 05–01–2024 से अपीलान्ट द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 29–07–2024 को यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट राज्य सरकार को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर उनकी ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आदेश की जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी, जैसे ही अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी हुई, आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी है। अतः देरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:48 IST
Reason: SelfAttested

को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05–01–2024 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अपील दिनांक 29–07–2024 को प्रस्तुत की है, जबकि अपील की समयावधि 60 दिवस होकर दिनांक 05–03–2024 तक अपील प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी। अर्थात अपील करीब 4½ माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसे प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

वक्त बहस विद्वान अधिवक्ता ने मीमों आफ अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि ग्राम खैगरों की भागल, तहसील गिर्वा में स्थिति अपीलान्ट ने अपनी खातेदारी की आराजी नंबर 4840, 4841, 4842, 4843 कुल किता 4 रकबा 0.9250 हैक्टर भूमि के औद्योगिक प्रयोजन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने आने–जाने हेतु रेकार्डेड रास्ते नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिया, जो गलत है, क्योंकि तहसीलदार गिर्वा की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आराजी नंबर 4835 जो अपीलान्ट के सहखातेदारी की भूमि है, उससे आवंटित भूमि पर आना–जाना होता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। आराजी नंबर 4835 में अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा है, जो सभी सहखातेदारों द्वारा रास्ते के उपयोग में ली जा रही है और भविष्य में भी आने–जाने के काम में आती रहेगी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजर अंदाज करते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश फरमाया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट राज्य सरकार के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार गिर्वा की रिपोर्ट के आधार पर जो आदेश पारित किया है, वह विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:48 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी में आराजी नंबर 4821 की किस्म रास्ता व पहाड़ दर्ज है, जबकि आराजी नंबर 4835 रकबा 0.1250 हैक्टर में अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा दर्ज होकर उसके सहखातेदारी की भूमि है। पत्रावली पर संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार आराजी नंबर 4821 के रास्ते से होकर आराजी नंबर 4835 से होकर प्रस्तावित आराजी नंबर 4840, 4841, 4842, 4843 कुल किता 4 रकबा 0.9250 हैक्टर पर पहुंचा जा सकता है। स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने उक्त आदेश में यह अंकित किया है कि तहसीलदार गिर्वा से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि पर पहुंचने हेतु संयुक्त खातेदारी भूमि आराजी नंबर 4835 में से होकर जाया जा सकता है, किन्तु प्रस्तावित भूमि पर आने–जाने हेतु रेकार्डेड रास्ता नहीं होने से अपीलान्ट का रूपान्तरण प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है, जो उचित नहीं है।

अतः अपील अपीलान्ट की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05–01–2024 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट/प्रार्थी की सहखातेदारी की आराजी नंबर 4835 में सभी सहखातेदारों की सहमति लेकर रास्ता दर्ज करने की प्रक्रिया अपनाते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पुनः विवेचन कर नये सिरे से आदेश पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 13–01–2024 को उपस्थित रहे। निर्णय आज दिनांक 19–11–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:48 IST
Reason: SelfAttested